"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2026—वैशाख 4, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 फरवरी 2026

क्रमांक ESTB/2396/2026-GAD-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, भा.प्र.से. (2006), सचिव, सहकारिता विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, माननीय राज्यपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री कुलदीप शर्मा, भा.प्र.से. (2014), रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं तथा अति. प्रभार प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पो. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के पद पर पदस्थ करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.

3. श्री तीर्थराज अग्रवाल, भा.प्र.से. विशेष सहायक, मान. मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पदस्थ करते हुये उप सचिव, धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

4. सुश्री लीना कोसम, भा.प्र.से., परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

सुश्री लीना कोसम, भा.प्र.से. द्वारा परीक्षा नियंत्रण, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् परीक्षा नियंत्रण, लोक सेवा आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

5. श्री सौमिल रंजन चौबे, भा.प्र.से., उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत उप सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

6. श्री बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, भा.प्र.से., अपर कलेक्टर, नारायणपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत अपर कलेक्टर, नारायणपुर के पद पर पदस्थ करता है.

7. श्री सुमीत अग्रवाल, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पद पर पदस्थ करता है.

8. श्री संदीप कुमार अग्रवाल, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

9. श्री आशीष कुमार टिकरिहा, भा.प्र.से. विशेष सहायक, मान. मंत्री, वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ करता है.

श्री आशीष कुमार टिकरिहा, भा.प्र.से., द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् प्रबंध संचालक, छ.ग. वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

10. श्री ऋषभ कुमार पाराशर, भा.प्र.से., उप सचिव, वित्त विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त यथावत उप सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

11. श्री तरूण कुमार किरण, भा.प्र.से. राज्य कर उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय, नवा रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा के पद पर पदस्थ करता है.

श्री तरूण कुमार किरण, भा.प्र.से. द्वारा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत् विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरबा के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 30 मार्च 2026

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2026 का सूचना तथा कार्यक्रम

No. GENS/8021/2026-Home Section.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त 2026, दिनांक 03 अगस्त, 2026 से दिनांक 10 अगस्त, 2026 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें :—

सोमवार, दिनांक 03-08-2026

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
3.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
4.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
5.	प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, “Electrical Laws (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	सोमवार, दिनांक 03-08-2026	
6.	द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
60.	Paper-2, “Earthing and Electrical Safety (Without Books)”, ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2026

(1)	(2)	(3)
9.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए", आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), भाग-"बी" सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
11.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"सी" सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
12.	प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
14.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
61.	Paper-3, "Electrical Installation (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

मंगलवार, दिनांक 04-08-2026

(1)	(2)	(3)
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
19.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
62.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 05-08-2026

(1)	(2)	(3)
20.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
22.	प्रश्न प्रथम पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
24.	प्रश्न पत्र-"व्यावहारिक शाखा" (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
63.	Paper-5 "Switchgear and Protection (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

बुधवार, दिनांक 05-08-2026

(1)	(2)	(3)
25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
26.	प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
27.	प्रश्न पत्र-"पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिए	
28.	द्वितीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
29.	तृतीय प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	
30.	प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
31.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा लेखा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
32.	प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
64.	Paper-6, "Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

गुरुवार, दिनांक 06-08-2026

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
34.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 06-08-2026	
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026	
45.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) भाग-1, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि विभाग के कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सा.प्र.वि., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 07-08-2026	
51.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित),भाग-2 पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
52.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	प्रश्न पत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारिता विभाग के सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि विभाग के कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	तृतीय प्रश्न पत्र -अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु.जन.जाति) विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये	
	शनिवार, दिनांक 08-08-2026 एवं रविवार, दिनांक 09-08-2026 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 10-08-2026	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह सी-विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) मंत्रालय को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-03-2026 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उनको शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा चंपावत, सचिव.

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2026

क्रमांक ESTB-102(1)/125/2026-IFS.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती निर्मला खेस्स (भा.व.से.) संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी अपर निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. पाठक, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 576/202511042100010/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईग प.ह.नं. 40	0.080	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 579/202511042100011/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगोरा प.ह.नं. 35	0.170	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 583/202511042100082/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	साल्हेपाली प.ह.नं. 17	0.716	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 अप्रैल 2026

रा.प्र.क्रमांक/740/298/202603211000056/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	सिमगा	ग्राम मोहभट्ठा प.ह.नं. 21	25.477	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला बलौदाबाजार	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुलदीप शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

क्रमांक/123/वा./भू.अ./प्र.क्र./202206141400011/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-पखांजूर
- (ग) नगर/ग्राम-ग्राम वनश्रीनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	141	0.04
	233	0.03
	174	0.04
	216	0.01
योग	04	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड कोयलीबेड़ा अन्तर्गत पी.व्ही. 44 से पी.व्ही. 45 मार्ग के कि.मी. 1/6 अंजाड़ी नाला पर सेतुमय पहुंच मार्ग

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 9 मार्च 2026

क्रमांक/668/2021072201400022/अ-82/भू-अर्जन/2020-21.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोण्डागांव
- (ख) तहसील-धनोरा
- (ग) नगर/ग्राम-बोकराबेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.3150 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30	0.376
31/2	0.069
31/1	0.041
31/3	0.024
32/1	0.016
7/27/ग	0.145
7/27/क/20, 66	0.016
21/1	0.073
21/2	0.085
7/113/19ग	0.162
18	0.158
22	0.109

	(1)	(2)
	23/2	0.041
योग	13	1.3150

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - ग्राम-बोकराबेड़ा, तहसील-धनोरा के अंतर्गत कोनगुड़-बोकराबेड़ा-धनोरा मार्ग के कि.मी. 5/6 बारदा नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, केशकाल जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नुपूर राशि पन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 25 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/386/202111031100006/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2023 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-बागबाहर
- (ग) नगर/ग्राम-राजाआमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.639 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
167/26	0.4560
400/31	0.105
417/3/ख	0.0200
402	0.028
252/2	0.0490
253/2	0.065
86	0.024
36	0.004
355	0.016
88/2 क	0.028
345/1	0.024
167/46	0.032
375/2	0.041
400/25	0.024
375/1	0.016
252/1	0.122
354	0.040
217	0.049
357/1	0.020
12/34	0.240
31/3क, 82/1 क, 83/3 क	0.113
37/8	0.101
440/1	0.057
406	0.012
400/27	0.024
409/1	0.041
253/1	0.178
214/1	0.053
215/1	0.032
344/1	0.028
214/2 क	0.077
31/6	0.089
37/7	0.053
427/1	0.073
356	0.0320
403/1	0.004
407/1	0.011
28/2	0.024
87	0.032
216/2	0.049
12/20	0.057
213/1	0.032
344/3	0.024

	(1)	(2)
	37/9	0.040
योग	44	2.639

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बुलडेगा से राजाआमा होते हुए खाड़ामाचा पहुंच मार्ग लंबाई 10.40 कि.मी. सड़क एवं पुल निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पत्थलगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित व्यास, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/853/202410042100117/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनांगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.151 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	100/1	0.029
	104/1	0.408
	109/9	0.063
	103/4	0.101
	111/15	0.073
	100/5	0.422
	104/2	0.135
	109/8	0.063
	100/7	0.153
	112/6	0.154
	100/6	0.030
	109/6	0.063
	114/1	0.040
	102/1	0.365
	114/2	0.454
	109/4	0.053
	109/7	0.063
	110/2	0.291
	111/10	0.182
	116	0.009
योग	20	3.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/856/202410042100115/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.986 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/5छ	0.008
19/5ठ	0.025

	(1)	(2)
	115/34	0.024
	53/10	0.014
	159/98	0.041
	44/16	0.027
	159/101	0.049
	159/106	0.049
	159/111	0.028
	38/3	0.093
	44/10	0.024
	159/35	0.049
	19/5 ढ	0.012
	19/19	0.040
	44/11	0.040
	148/3	0.178
	159/91	0.046
	159/93	0.020
	159/102	0.049
	159/107	0.049
	159/112	0.028
	53/11	0.021
	53/12	0.019
	159/105	0.049
	19/5 ड	0.008
	19/18	0.040
	53/5	0.032
	159/87	0.030
	159/90	0.046
	44/1/क	0.027
	159/103	0.049
	159/108	0.049
	43/4	0.019
	19/17	0.040
	159/99	0.040
	159/110	0.025
	19/5 ण	0.008
	44/6	0.021
	53/13	0.040
	159/100	0.041
	44/15	0.027
	159/57	0.020
	159/104	0.049
	159/109	0.049
	52/2	0.129
	19/5 ट	0.025
	159/92	0.020
	19/2	0.170
योग	48	1.986

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/862/202410042100116/अ-82/2023-24.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोसमपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.235 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	151/7क/1	0.890
	80/3/ख/2	0.081
	178/1	0.069
	286/5	0.021
	178/2/क	0.012
	151/2	0.162
योग	06	1.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सक्ती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सक्ती, दिनांक 11 फरवरी 2026

क्रमांक/916/अ-82/2026.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सक्ती
- (ख) तहसील-अड़भार
- (ग) नगर/ग्राम-कर्रापाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.794 हे. में से 0.0012 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	337 शामिल खसरा नं. 338	0.794 हे. में से 0.0012 हे.
योग		0.794 हे. में से 0.0012 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सक्ती-टुण्ड्री मार्ग उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मालखरौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमृत विकास तोपनो, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2026

त्रुटि आंशिक संशोधन

राजस्व प्रकरण क्रमांक 893/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2026.—ग्राम-टपरदा के राजस्व प्रकरण क्र. 2026042100041/बी-121/2025-26 में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र क्रमांक 16, दिनांक 17-04-2026, भाग-1 के पृ. क्रमांक-211-212 में हुआ है, चूंकि उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश मेसर्स कोरवा वेस्ट पॉवर लिमिटेड कंपनी अंकित हो गया है, एवं [(नियम 5 का उपनियम (1)] के स्थान पर [(नियम 4 का उपनियम (1)] हो गया है जिसको विलोपित कर सही नाम "अदानी पॉवर लिमिटेड" एवं [(नियम 5 का उपनियम (1)] पढ़ा जावे.

रायगढ़, दिनांक 22 अप्रैल 2026

त्रुटि आंशिक संशोधन

राजस्व प्रकरण क्रमांक 894/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2026.—ग्राम-कठली के राजस्व प्रकरण क्र. 2026042100042/बी-121/2025-26 में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) की अधिसूचना का प्रकाशन छ.ग. राजपत्र क्रमांक 16, दिनांक 17-04-2026, भाग-1 के पृ. क्रमांक-209-210-211 में हुआ है, चूंकि उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश मेसर्स कोरवा वेस्ट पॉवर लिमिटेड कंपनी अंकित हो गया है, जिसको विलोपित कर सही नाम "अदानी पॉवर लिमिटेड" पढ़ा जावे.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th November 2025

No. 1373/Confdl./2025/II-3-1/2025.—The following Civil Judge Junior Division, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sajal Jain, II Additional Judge to the Court of Civil Judge Junior Division, Keshkal at Kondagaon	Kondagaon	Durg	Durg	VI Civil Judge Junior Division

By Order of the Hith Court,
RAJNISH SHRIVASTAVA, Registrar General.